राज्य बाल संरक्षण समिति, छत्तीसगढ़
संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़
ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ०ग०)
दूरभाष क्रमांक 07712234192, 2234188 (Fax) email : dirwcd@nic.in

क्रमांक / 12263 / मबावि / आईसीपीएस / 2019–20 रायपुर, दिनांक 03.03.2020

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय :– **किशोर न्याय बोर्ड तथा बालक कल्याण समितियों के गठन के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने विषयक।**

किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा बालक कल्याण समितियों में अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन कर क्रमशः बोर्ड एवं समिति का गठन / पुनर्गठन किया जाना है। इस हेतु निर्धारित अर्हताओं / अनर्हताओं के प्रकाश में पात्र आवेदकों से **दिनांक 30 / 03 / 2020** तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन का प्रारूप संलग्न है। इस विज्ञापन का प्रारूप वेबसाइट **www.cgstate.gov.in** एवं **www.cgwcd.gov.in** पर अपलोड करने का कष्ट करे।

संलग्न :– **विज्ञापन का प्रारूप एवं सीडी**

(जनमेजय महोबे)
आयुक्त
महिला एवं बाल विकास विभाग एवं
सचिव राज्य बाल संरक्षण समिति
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

राज्य बाल संरक्षण समिति, छत्तीसगढ़
संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़

ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ०ग०)

दूरभाष क्रमांक 07712234192, 2234188 (Fax) email : dirwcd@nic.in

किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा बालक कल्याण समितियों में अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन कर समिति का गठन/पुनर्गठन किया जाना है। इस हेतु निर्धारित अर्हताओं/अनर्हताओं के प्रकाश में पात्र आवेदकों से **दिनांक 30/03/2020** तक आवेदन आमंत्रित हैं।

1. बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य की रिक्तियों/संभावित रिक्तियों का विवरण –

क्र.	रिक्त संख्या			बैठक भत्ता
	जिले का नाम	अध्यक्ष	सदस्य	
1	बालोद	रिक्त	रिक्त–1	1500/– प्रति बैठक/शासन द्वारा निर्धारित भत्ता
2	बलौदाबाजार	रिक्त	रिक्त–1 (महिला)	
3	बलरामपुर	–	रिक्त–2	
4	बस्तर	रिक्त	रिक्त–2 (एक महिला)	
5	बेमेतरा	–	रिक्त–1	
6	बीजापुर	–	रिक्त–2	
7	बिलासपुर	रिक्त	रिक्त–4 (एक महिला)	
8	दंतेवाड़ा	रिक्त	रिक्त–4 (एक महिला)	
9	धमतरी	रिक्त	–	
10	दुर्ग	रिक्त	रिक्त–4 (एक महिला)	
11	गरियाबंद	–	रिक्त–2 (एक महिला)	
12	जांजगीर	रिक्त	रिक्त–2 (एक महिला)	
13	जशपुर	रिक्त	रिक्त–2 (एक महिला)	
14	कबीरधाम	रिक्त	–	
15	कांकेर	रिक्त	रिक्त–3 (एक महिला)	
16	कोरिया	रिक्त	–	
17	कोण्डागांव	–	रिक्त 1	
18	महासमुंद	रिक्त	रिक्त–3 (एक महिला)	
19	मुंगेली	–	रिक्त–2	
20	नारायणपुर	–	रिक्त–2	
21	रायगढ़	रिक्त	रिक्त–2	
22	रायपुर	रिक्त	रिक्त–4 (एक महिला)	
23	राजनांदगांव	रिक्त	रिक्त–4 (एक महिला)	
24	सुकमा	–	रिक्त–1 (महिला)	
25	सूरजपुर	रिक्त	रिक्त–2	
26	सरगुजा	रिक्त	रिक्त–2 (एक महिला)	

Scanned with CamScanner

2. किशोर न्याय बोर्ड के लिए सामाजिक सदस्य/कार्यकर्ता की रिक्तियों का विवरण :–

क्र.	रिक्त संख्या		बैठक भत्ता
	जिले का नाम	सामाजिक कार्यकर्ता	
1	बालोद	रिक्त–1 (महिला)	
2	बलौदाबाजार	रिक्त–2 (एक महिला)	1500/– प्रति बैठक/शासन द्वारा निर्धारित भत्ता
3	बलरामपुर	रिक्त–1	
4	बीजापुर	रिक्त–1 (महिला)	
5	बिलासपुर	रिक्त–1	
6	कांकेर	रिक्त–2 (एक महिला)	
7	दुर्ग (क्रमांक–1)	रिक्त–2 (एक महिला)	
	दुर्ग (क्रमांक–2)	रिक्त–1	
8	कोण्डागांव	रिक्त–1	
9	नारायणपुर	रिक्त–1	
10	जांजगीर–चॉपा	रिक्त–2 (एक महिला)	
11	कोरबा	रिक्त–2 (एक महिला)	
12	कोरिया	रिक्त–1	
13	महासमुंद	रिक्त–2 (एक महिला)	
14	सरगुजा	रिक्त–1	
15	सूरजपुर	रिक्त–2 (एक महिला)	
16	दंतेवाड़ा	रिक्त–1 (एक महिला)	
17	गरियाबंद	रिक्त–1 (एक महिला)	
18	कबीरधाम	रिक्त–1 (एक महिला)	
19	मुंगेली	रिक्त–2 (एक महिला)	
20	राजनांदगांव	रिक्त–1	

3. किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के लिए अर्हताएं/अनर्हताएं

पदनाम	अर्हताएं	अनर्हताएं
किशोर न्याय बोर्ड के लिए सामाजिक कार्यकर्ता	*किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 4 (3) तथा नियम 2016 के नियम 4 (3) अनुसार –* सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की न्यूनतम आयु पैंतीस वर्ष होगी और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम सात वर्ष का अनुभव होगा या वे बाल मनोविज्ञान (psychiatry) या मनोचिकित्सा या समाज विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत् वृत्तिक होने चाहिए।	*किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 4 (4) अनुसार कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा यदि –* 1. उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकार्ड है; 2. उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नही गया है या उसे अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नही की गई है; 3. उसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है; 4. वह कभी बालक दुर्व्यवहार या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है।

Scanned with CamScanner

4. बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के लिए अर्हताएं/अनर्हताएं

पदनाम	अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए अर्हताएं	अनर्हताएं
बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य	*किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 27 (4) तथा नियम 2016 के नियम 15 (3) अनुसार –* अध्यक्ष और सदस्यों की आयु पैंतीस वर्ष से अधिक होगी और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों के क्षेत्र में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम सात वर्ष का अनुभव होगा या वे बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या सामाजिक कार्य या समाज विज्ञान या मानव विकास या विधि क्षेत्र में डिग्री के साथ व्यवसायरत् वृत्तिक या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होने चाहिए।	*कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा यदि –* 1. उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकार्ड है। 2. उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नही गया है या उसे अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नही की गई है। 3. उसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है। 4. वह कभी बालक दुर्व्यवहार या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है।

5. <u>नियम व शर्तें (किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति दोनों के लिए)</u>

5.1 आवेदक की आयु की गणना 1 जनवरी 2020 से की जायेगी ।

5.2 बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 87 के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

5.3 ***किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 4(4) अनुसार –***

"बोर्ड के लिए इस प्रकार चयनित दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य, यथासंभव दो भिन्न–भिन्न क्षेत्रों से होने चाहिए।"

5.4 ***किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 5 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल –***

(1) बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अधिक नही होगा।

(2) बोर्ड का सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नही होंगे।

(3) सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को एक मास की लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकते हैं।

(4) बोर्ड में किसी भी रिक्ति को चयन समिति द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल से किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।

5.5 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 15 (4) के अनुसार बालक कल्याण समिति का कोई भी सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नहीं होंगे।

Scanned with CamScanner

5.6 अधिनियम की धारा 4 (7) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य की नियुक्ति, जांच करने के पश्चात् समाप्त की जा सकती है, यदि वह सदस्य–

(1) इस अधिनियम के अधीन निहित की गई शक्ति के दुरूपयोग का दोषी पाया गया है;या

(2) बोर्ड की कार्यवाहियों में बिना किसी विधिमान्य कारण के लगातार तीन मास तक भाग लेने में असफल रहता है; या

(3) किसी वर्ष में तीन–चौथाई से कम बैठकों में भाग लेने में असफल रहता है; या

(4) सदस्य के रूप में अपनी अवधि के दौरान उपधारा (4) के अधीन अपात्र हो जाता है।

5.7 अधिनियम की धारा 27(7) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बालक कल्याण समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति, जांच किये जाने के पश्चात् समाप्त की जायेगी, यदि

(1) वह इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित शक्ति के दुरूपयोग का दोषी पाया गया हो;

(2) वह किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध की बाबत् उसे पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है;

(3) वह, किसी विधिमान्य कारण के बिना लगातार तीन मास तक, समिति की कार्यवाहियों में उपस्थित रहने में असफल रहता है या किसी वर्ष में कम से कम तीन–चौथाई बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है।

5.8 बालक कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड मे चयन होने उपरांत प्रशिक्षण में नामांकित किये जाने पर प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5.9 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 15 (6) के अनुसार बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को एक मास का लिखित नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकते है।

5.10 नियम 2016 के नियम 88 (4) के अनुसार –

"चयन समिति योग्यता, बालको के साथ कार्य करने के अनुभव और अभ्यर्थी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर अभ्यर्थियो का मूल्यांकन करेगी।"

5.11 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 88 (5) के अनुसार चयन समिति द्वारा चयनित सदस्य –

(i) ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होना चाहिए, जो अधिनियम और इन नियमों के अनुसार बोर्ड या समिति के कार्य के लिए व्यक्ति को आवश्यक समय और ध्यान देने की अनुमति न देता हो;

(ii) बोर्ड या समिति के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा न हो;

(iii) अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक पद का पदाधिकारी न हो;

(iv) दिवालिया न हो।

5.12 बोर्ड/समिति सप्ताह के सभी कार्य दिवस में अथवा निर्धारित दिवस में आहूत बैठक में कम से कम छः घण्टे प्रति बैठक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।

5.13 सदस्यों की वर्ष में कम से कम तीन चौथाई उपस्थिति अनिवार्य होगी।

5.14 प्रत्येक बैठक के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रूपये 1500/– या शासन द्वारा निर्धारित बैठक भत्ता प्रत्येक सदस्य को देय होगा।

5.15 शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य की जायेगी।

Scanned with CamScanner

5.16 आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं स्वप्रमाणित/सत्यापित अंकसूची संलग्न होना चाहिए ।

5.17 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को नियोक्ता/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

5.18 शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं में कार्यरत नियमित कर्मचारी आवेदन हेतु अपात्र होंगे परन्तु ऐसे शिक्षक, चिकित्सक, अधिवक्ता अथवा सामाजिक कार्यकर्ता आवेदन कर सकते हैं, जो बैठकों के लिए पर्याप्त समय दे सकते हों।

5.19 निर्धारित संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक जिले के लिए प्रतीक्षा सूची का पैनल बनाया जायेगा।

5.20 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीद्वारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे।

6. चयन संबंधी समस्त जानकारी समय समय पर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अद्यतन जानकारी के लिए **www.cgstate.gov.in** अथवा **www.cgwcd.gov.in** का अवलोकन करते रहें। उपरोक्त विज्ञापन में कोई लिपिकीय त्रुटि की स्थिति में सुधार संभव होगा।

7. **आवेदन प्रेषित करने का पता – संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492002।**

8. आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे । **आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे।** आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रूपये का डाक टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करें।

9. आवेदक का आवेदन **दिनांक 30/03/2020** को सायं 5.00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

10. प्राप्त आवेदनों के संबंध में गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

11. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाइट **www.cgstate.gov.in** अथवा **www.cgwcd.gov.in** पर देखी जा सकती है।

12. सभी पदों के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा।

(जनमेजय महोबे)
आयुक्त
महिला एवं बाल विकास विभाग एवं
सचिव राज्य बाल संरक्षण समिति
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

अध्यक्ष बालक कल्याण समिति/सदस्य बालक कल्याण समिति/ सामाजिक कार्यकर्ता किशोर न्याय बोर्ड हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक का स्व हस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटों

प्रति,

आयुक्त,
संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग
ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)

1. आवेदित पद –

अध्यक्ष बालक कल्याण समिति :– ☐

सदस्य बालक कल्याण समिति :– ☐

सामाजिक कार्यकर्ता किशोर न्याय बोर्ड :– ☐

जिला :– ....

(जिस पद के लिए आवेदन किया गया है, केवल उसी पद के सामने दर्शित बॉक्स में ✓ का चिन्ह लगायें। यदि एक से अधिक पद के लिए आवेदन किया जाना है तो पृथक आवेदन पत्र जमा करे। जिस जिले के लिए आवेदन किया गया है उसका नाम स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप से अंकित हो। एक से अधिक पद के सामने दर्शित बॉक्स में ✓ का चिन्ह लगाये जाने अथवा जिला अंकित नही किये जाने की स्थिति में आवेदन पर विचार नही जायेगा।)

2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :– ....

(अंग्रेजी में) :– ....

3. पिता/पति का नाम :– ....

4. स्थायी पता :– ....

....

5. (पत्र व्यवहार का पता) :– ....

....

दूरभाष/मोबाईल............................ ईमेल – ....

6. जन्मतिथि (अंकों में) :– ....

(शब्दों में) :– ....

(जन्मतिथि के प्रमाण हेतु दस्तावेज संलग्न करे।)

7. आधार नम्बर (छाया प्रति संलग्न की जाये):– ....

8. दिनांक 01/01/2020 को आयु :– ....

9. लिंग – पुरूष/महिला/अन्य :– ....

10. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) :– जाति .... वर्ग ....

11. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? ....

यदि हॉ तो विवरण (संस्था का नाम, पद एवं कार्य का विवरण) :– ....

Scanned with CamScanner

12\. आवेदक यदि पूर्व में बालक कल्याण समिति का सम्मानित अध्यक्ष/सदस्य अथवा किशोर न्याय बोर्ड मे सामाजिक कार्यकर्ता रहा है/रही है तो निम्न पदों के विरूद्ध स्पष्ट चिन्हांकित ✓ करें :–

अध्यक्ष बालक कल्याण समिति	☐
सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	☐
सदस्य बालक कल्याण समिति	☐

13\. आवेदक का व्यवसाय :– ....

14\. शैक्षणिक योग्यता :– (समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7

15. अन्य योग्यता/अनुभव विज्ञापन द्वारा चाही गई अर्हताओं के प्रकाश में (अभिलेख संलग्न करें)

संस्था का नाम	पद नाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूची –

1. जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र
2. 12वीं की अंकसूची
3. स्नातक की अंकसूची स्नातकोत्तर की अंकसूची
4. अनुभव प्रमाण पत्र
5. आवेदक नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित पचास रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टैंम्प पेपर पर विधि विरूद्ध कार्य में संलग्न न रहने, किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित न किये जाने, किसी राजनैतिक पद का पदाधिकारी न हो, दिवालिया न होने का शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करे।
6. आवेदक छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी होने का निवास/मूल प्रमाण पत्र संलग्न करे।
7. यदि आवेदक पूर्व में अध्यक्ष बालक कल्याण समिति/सदस्य किशोर न्याय बोर्ड/सदस्य बालक कल्याण समिति रहा है तो स्थान एवं कार्य अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

17. अन्य संलग्नकों का विवरण

1\...

2\...

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

घोषणा–पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता अथवा बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में की गई मेरी नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान – ---------------------

दिनांक – ---------------------

Scanned with CamScanner